|| निर्णय ||
(आज दिनांक 09/11/2022 को घोषित किया गया)

1. आरक्षी केन्द्र उदयपुरा के अभियोग पत्र पर से अभियुक्त के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 36(बी) का अभियोग है।

2. अभियुक्त दिनांक 17.10.2022 को समय 19:30 बजे, स्थान नए बस स्टेंड के पीछे उदयपुरा, आरक्षी केन्द्र उदयपुरा, जिला–रायसेन, म0प्र0 पर मदिरा पान करते पाए गए।

3. अभियुक्त को संक्षिप्त प्रकिया अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई, समझाई गई तथा अभियोजन दस्तावेजों का अवलोकन कराया गया। अभियुक्त से पूछे जाने पर जुर्म स्वेच्छया स्वीकार किया। अभियोजन की कार्यवाही एवं दस्तावेजों को भी स्वीकार किया।

4. अभियुक्त की स्वेच्छिक जुर्म स्वीकारोक्ति पर से अभियोजन के मामले पर संदेह किये जाने का कोई आधार नहीं।

5. अभियुक्त को सिद्ध दोष अपराध धारा 36(बी) म.प्र. आबकारी अधिनियम में 1000/–रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

6. प्रकरण में जप्तशुदा आधा क्वार्टर देशी मदिरा एवं एक डिस्पोजल ग्लास अपीलावधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मुद्रांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित।

9/11/22

(वरूण चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उदयपुरा, जिला रायसेन म.प्र.

मेरे निर्देशन पर टंकित।

9/11/22

(वरूण चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उदयपुरा, जिला रायसेन म.प्र.